दिल्ली विधि अधिनियम, 1915

(1915 का अधिनियम संख्यांक 7)

[22 मार्च, 1915]

दिल्ली प्रांत में जोड़े गए कतिपय राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि को घोषित करने के लिए अधिनियम

1915 के फरवरी के बाईसवें दिन की अधिसूचना संख्या 984-ग[1] में प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा, सपरिषद् गवर्नर जनरल ने, सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया की मंजूरी और अनुमोदन से, अनुसूची 1 में उल्लिखित राज्यक्षेत्र, जो कि पहले आगरा व अवध के संयुक्त प्रान्तों में सम्मिलित था, अपने सीधे प्राधिकार और प्रबंध के अधीन ले लिया है और उक्त राज्यक्षेत्र को दिल्ली प्रांत में 1915 के अप्रैल के प्रथम दिन से सम्मिलित कर लिया है ;

और यह समीचीन है कि उक्त राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि को घोषित किया जाए ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विधि अधिनियम, 1915 है ।

(2) यह 1915 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

2. वर्तमान दिल्ली राज्य में प्रवृत्त विधि का जोड़े गए क्षेत्र में लागू होना—समस्त अधिनियमितियां (अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को छोड़कर) जो तत्समय दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 (1912 का 13) की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त हैं और समस्त अधिसूचनाएं, आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप और उपविधियां जो ऐसी अधिनियमितियों के अधीन जारी की गई, बनाई गई या विहित की गई है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उसी रीति से और उन्हीं उपांतरों के अधीन रहते हुए प्रवृत्त समझी जाएंगी जैसी वे उक्त अधिनियम की उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त हैं ।

3. जोड़े गए क्षेत्र में उन कतिपय विधियों का जारी रहना जो उत्तर प्रदेश में इस समय प्रवृत्त हैं—अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां और समस्त अधिसूचनाएं, आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप और उपविधियां जो उन अधिनियमितियों के अधीन जारी की गई, बनाई गई या विहित की गई हैं, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त बनी रहेंगी :

परन्तु इस प्रकार प्रवृत्त बनी रही अधिनियमितियों में और ऐसी समस्त अधिसूचनाओं, आदेशों, स्कीमों, नियमों, प्ररूपों और उपविधियों में जो उनके अधीन जारी की गई, बनाई गई या विहित की गई हैं, जहां राज्य सरकार, आगरा व अवध[2] के संयुक्त प्रांत की [3][राज्य सरकार,] या संयुक्त प्रांत के राजस्व बोर्ड के प्रति निर्देश है, वहां दिल्ली [4][राज्य सरकार] के प्रति निर्देश पढ़ा जाएगा ; जहां उच्च न्यायालय या पश्चिमोत्तर प्रांतों के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश है वहां [5][पंजाब के उच्च न्यायालय] के प्रति निर्देश समझा जाएगा ; और जहां उत्तर प्रदेश के राजपत्र के प्रति निर्देश है वहां राजपत्र के प्रति निर्देश समझा जाएगा ।

4. कतिपय अधिनियमितियों का लागू होना सुकर बनाने के लिए उपबंध—अनुसूची 1 में उल्लिखित राज्यक्षेत्र में धारा 3 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का लागू होना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 (1912 का 13) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा ।

5. जोड़े गए क्षेत्र से कतिपय अधिनियमितियों का अपवर्जन—धारा 2 और 3 में यथाउपबंधित के सिवाय, कोई अधिनियमिति, जो आगरा व अवध के संयुक्त प्रांतों में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त है अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त बनी नहीं रहेगी ।

6. लम्बित कार्यवाहियां—इस अधिनियम की कोई भी बात किसी ऐसी कार्यवाही पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो उसके प्रारम्भ के समय अनुसूची 1 में उल्लिखित राज्यक्षेत्र में से किसी के बारे में या ऐसे राज्यक्षेत्र में उद्भूत होने वाली किसी बात के बारे में लम्बित है, और ऐसी प्रत्येक कार्यवाही ऐसे जारी रहेगी मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कोई भी दाण्डिक, सिविल या राजस्व कार्यवाही, जो कि पश्चिमोत्तर प्रांतों के उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित होने वाली कार्यवाही से भिन्न हो दिल्ली राज्य के तत्समान प्राधिकारी को अन्तरित कर दी जाएगी और उसके द्वारा निपटायी जाएगी ।

---

[1] भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1915, भाग 1, पृ० 336 ।

[2] अब उत्तर प्रदेश ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "उपराज्यपाल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "मुख्य आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "लाहौर उच्च न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7. [1912 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 का संशोधन] । निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

8. अर्थान्वयन—इस अधिनियम का दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 (1912 का 13) के साथ अर्थ लगाया जाएगा और यह उसका भाग समझा जाएगा ।

अनुसूची 1

(धारा 2 देखिए)

दिल्ली प्रांत में जोड़ा गया राज्यक्षेत्र

निम्नलिखित की राजस्व सम्पदाएं :—

1. सूबेपुर
2. जगतपुर
3. बकियाबाद
4. बेहारीपुर
5. सादतपुर महल गूजरान
6. सादतपुर मुसलमान
7. सादतपुर अमद दिल्ली
8. वजीराबाद
9. खाजूआरी परमाद
10. खजूरी खास
11. गढ़ी मेंडू
12. तिमारपुर
13. चंद्रावल
14. उस्मानपुर
15. घोंडा पट्टी गूजरान खादर
16. घोंडा पट्टी चौहान खादर
17. अंधावली
18. कैथवाड़ा
19. सीलमपुर अमद दिल्ली
20. घोंडली खादर
21. जटवाला खुर्द
22. मुबारकपुर रेती
23. शकरपुर खादर
24. नागला मांची
25. शमसपुर
26. घरोंडा नीमका खादर
27. नागली राजापुर
28. चिला सरौदा खादर
29. करावल नगर उर्फ धरौती कलां

30. जीवनपुर जोहरीपुर
31. मुस्तफाबाद
32. मीरपुर तुर्क
33. जियाउद्दीनपुर
34. खानपुर ढानी
35. मौजपुर
36. घोंडा पट्टी गूजरान बांगर
37. घोंडा पट्टी चौहान बांगर
38. जाफराबाद
39. उल्दानपुर
40. बाबरपुर
41. सिकदरपुर
42. गोकलपुर
43. साबौली
44. मंडौली
45. तहरपुर
46. झिलमिला
47. चंदावली उर्फ शाहदरा
48. सीलमपुर बांगर
49. सीलमपुर खादर
50. घोंडली बांगर
51. ककरदुमा
52. खुरेजी खास
53. खुरेजी बारामद
54. शकरपुर खास बांगर
55. मंडावली फजिलपुर
56. हसनपुर भुआपुर
57. गाजीपुर
58. खिचड़ीपुर
59. घरोंडा नीमका बांगर (पटपड़गंज)
60. शकरपुर बारामद
61. कोटला
62. चिला सरौदा बांगर
63. दालूपुरा
64. कोंडली
65. घडौली

अनुसूची 2

(धारा 2 देखिए)

दिल्ली प्रान्त में अधिनियमितियां जो उस प्रान्त में जोड़े गए राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त नहीं होंगी

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	टिप्पणियां
1	2	3	4
		सपरिषद् गवर्नर जनरल आफ इंडिया के अधिनियम	
1887	15	पंजाब टेनेंसी ऐक्ट, 1887	—
1887	17	पंजाब लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887	—
[1]*		* * *	*
		पंजाब अधिनियम	
1900	2	पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन (चौस) ऐक्ट, 1900	—
1912	5	कलोनाइजेशन आफ गवर्नमेंट लैण्ड्स (पंजाब) ऐक्ट, 1912	—
1913	1	पंजाब प्रिएम्पशन ऐक्ट, 1913	—
1913	2	रिडेम्पशन आफ मोर्गेज (पंजाब) ऐक्ट, 1913	—

अनुसूची 3

(धारा 3 देखिए)

आगरा व अवध के संयुक्त प्रान्तों में प्रवृत्त अधिनियमितियां जो दिल्ली प्रान्त में जोड़े गए राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त बनी रहेंगी

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	टिप्पणियां
1	2	3	4
		सपिरषद् गवर्नर जनरल आफ इंडिया के अधिनियम	
1882	4	सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882	—
1882	5	भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882	—
1891	8	भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 का उन कतिपय क्षेत्रों पर विस्तार करने के लिए अधिनियम जिनमें कि वह अधिनियम प्रवृत्त नहीं है ।	—
		संयुक्त प्रांत अधिनियम	
[2]1901	2	आगरा टेनेन्सी ऐक्ट, 1901	—
1901	3	यूनाइटेड प्रोविंसेस लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901	—
1904	1	यूनाइटेड प्रोविंसेस जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904	जहां तक वह आगरा टेनेंसी ऐक्ट, 1901 और यूनाइटेड प्रोविंसेस लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 को लागू होता है ।

———

[1] पंजाब एलियनेशन आफ लैण्ड ऐक्ट, 1900 (1900 का पंजाब अधिनियम सं० 13) से संबंधित प्रविष्टि 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित की गई ।

[2] यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 (1939 का यू० पी० अधिनियम सं० 17) के 1951 के अधिनियम सं० 36 की धारा 2 द्वारा दिल्ली राज्य पर विस्तारित होने पर कालम 4 में की प्रविष्टि और शब्द "आगरा टेनेंसी ऐक्ट, 1901, और" का लोप किया जाएगा ।